

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

भागचन्द्र पुत्र अमरसिंह	वनाम	1. अमरसिंह पुत्र उदयराम
जाहि जाह नि. शिवाजी बडा		2. पवन कुमार पुत्र अमरसिंह
दावा बाबत :-		3. विनोद पुत्र अमरसिंह
88RTA04		4. सुमित्रा पत्नी लखेश्वर पुत्र अमरसिंह
मुकदमा नम्बर :-		5. सुदीप कुमार पुत्र स्व. रोहतास
102/21		6. सिद्धा पुत्री अमरसिंह
निर्णय दिनांक :-		7. राजमन मन्नार परिव. रघुनीसदर
25.11.21		

वादी की ओर से वकील की व प्रतिवादी सं० 1-6 की
 ओर से वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25.11.21
 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने
 पर आदेश दिया जाता है कि

रौही भोजा शिवाजी बडा के प्लॉट सं० 2/2 के
 रवात सं० 296 की कुल 6.2098 हे. बरानी में प्लॉट सं०
 के नाम 1/2 हिस्सा, एपी प्लॉट रौही भोजा शिवाजी बडा के
 रवात सं० 4/68 के प्लॉट सं० 76, 80 की कुल 8.9800 हे.
 में प्लॉट सं० के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है में प्रतिवादी सं०
 01 का नाम उलमन सिद्धा जाकर वादी भागचन्द्र,
 प्लॉट सं० 2 पवन कुमार प्लॉट सं० 3 विनोद कुमार प्लॉट सं० 5
 सुदीप कुमार पुत्र स्व. रोहतास को धरि हिस्सा काबज के
 रवातेदार काबजत घोषित किए गये जाते हैं जूनि प्लॉट सं०
 1, प. 6 ने अपना एक हिस्सा त्याग कर इतना कर सिपा है तो
 सिध्दान्तुमार पंजीयन पुस्तक जमा करने व भूमि बंन
 रदन है तो रदन उठ होने पर उपरोक्तुमार राजमन
 रिपोर्ट उद्घट्ट किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़